

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
संख्या—२७०/V-2/2019-10(घो) / 2017
देहरादून, दिनांक १३ सितम्बर, 2019

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—१८०७/V-2/2017—०५(आ०) / 2017, दिनांक १३ नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

अतएव अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा—३ सप्तरित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा—२१ द्वारा प्रदत्त राकितयों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित भू—भाग को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष र्खीकृति प्रदान करते हैं—

(क) पूर्णागिरी क्षेत्र के राजस्व ग्राम का अधिसूचित क्षेत्र—

१—कोलीकुलाडी(तोक—दुन्नास, कटोजिया, चन्द्रिकाखटक, सेलागड़), २— पूर्णागिरी मॉफी (तोक— माफी, जमरानी)

(ख) तुलीगड़ से भैरव मन्दिर परिसर तक मोटर मार्ग के दोनों ओर २०० मी० का क्षेत्र एवं भैरव मन्दिर परिसर से पूर्णागिरी मन्दिर परिसर तक पैदल मार्ग के दोनों ओर ५० मी० का क्षेत्र। पूर्णागिरी मन्दिर के परिसर के चारों ओर ५० मी० का क्षेत्र।

(ग) तहसील पूर्णागिरी टनकपुर के मैदानी क्षेत्र के राजस्व ग्राम का अधिसूचित क्षेत्र—

१—बस्टिया, २—गैंडाखाली नं०—०१, ३—गैंडाखाली नं०—०३, ४—गैंडाखाली नं०—०४, ५—सुवागोठ, ६—बरमदेव, ७—उचौलीगोठ, ८—थ्वालखेड़ा, ९—खेतखेड़ा, १०—छीनीगोठ, ११—छीनीतल्ली, १२—छीनीमल्ली, १३—चन्दनी, १४—फागपुर, १५—सैलानीगोठ, १६—मनिहारगोठ, १७—विचई, १८—देवरामपुर उर्फ सीतापुर, १९—बगदौराहंसी, २०—बगदौराखास, २१—चेलागोठ, २२—कठुवापाती, २३—कलौनियां, २४—बनबसा, २५—भजनपुर, २६—पचपकरिया, २७—बमनपुरी, २८—गुदमी, २९—देवरामपुर, ३०—आनन्दपुर, ३१—भैसाझाला ।

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या—२७०/V-2/2019-10(घो) / 2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की ५०० प्रतियां मुद्रित कराते हुये प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

संख्या-२७०/V-2/2019-10(घो) / 2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— उपाध्यक्ष / सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 7— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 8— एनोआई०सी० / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।